राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–2104 / 2025

निधि शर्मा

–अपीलार्थी

बनाम

प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग,
शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर एवं अन्य।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 07.03.2025

उपस्थिति :–

अपीलार्थी की ओर से : श्री सलीम खान, अभिभाषक

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री संजीव सिंघल, राजकीय अभिभाषक

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी को आदेश दिनांक 16.12.2024 (अनुलग्नक–1) के द्वारा आदेशों की प्रतीक्षा में रखा गया था। दिनांक 16.12.2024 का आदेश अतिरिक्त आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं औषधी नियंत्रण, राजस्थान, जयपुर द्वारा पारित किया गया है, जो अपीलार्थी को एपीओ करने के लिये सक्षम अधिकारी नहीं है। उनका यह भी तर्क है कि अपीलार्थी को आदेश दिनांक 10.01.2025 के द्वारा मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जालौर के अधीन कनिष्ठ सहायक के पद पर पदस्थापित किया गया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का कथन है कि अपीलार्थी को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी पदस्थापित करने के लिये सक्षम नहीं है। ऐसे में अपीलार्थी को उनके अधीन पदस्थापित किया जाना गलत है।
3. हमनें अपीलार्थी द्वारा दिये गये तर्कों पर विचार किया।
4. पत्रावली के अवलोकन से हम पाते है कि अपीलार्थी को एपीओ किये जाने के पश्चात अपीलार्थी का पदस्थापन किया गया है, जो सक्षम अधिकारी द्वारा किया गया है। अपीलार्थी को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जालोर के अधीन

कनिष्ठ सहायक के रिक्त पद पर लगाये जाने में कोई त्रुटि नहीं है। अपीलार्थी को उसी के पद के विरूद्ध पदस्थापित किया गया है। ऐसे में हम अपीलार्थी के पदस्थापन आदेश में कोई विधि विरूद्धता होना नहीं पाते है। यह नियोक्ता के विवेक पर निर्भर करता है कि वह प्रशासनिक व राज्यहित में अपने किस कार्मिक की सेवाएं किस स्थान पर प्राप्त करें। नियोक्ता द्वारा लिये गये निर्णय में इस अधिकरण को हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं है, जब तक की उक्त निर्णय दुर्भावनापूर्ण या नियम–विरूद्ध तरीके से पारित नहीं किया गया हो।

5. उपरोक्त विवेचन के आधार पर हम इस अपील में कोई बल होना नहीं पाते हैं। अतः अपील खारिज की जाती है।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)